राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प.23(2)एम.ई./ग्रुप–1/2021 जयपुर, दिनांकः 28/7/2021

कुल सचिव,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
कुंभा मार्ग, प्रताप नगर,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने एवं स्नात्तक (एम.बी.बी.एस.) पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 100 से 150 होने पर नये पदो के सृजन के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 3134 दिनांक 1906.2021 एवं 7879 दिनांक 13.07.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय में निम्न सारणी अनुसार पद सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	विभाग	पदनाम			
		आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	वरिष्ठ प्रदर्शक
1.	Emergency Medicine	1	1	1	0
2.	Pharmacology	0	1	1	2
3.	Forensic Medicine	0	1	0	1
4.	Anatomy	0	0	1	1
5.	Physiology	0	0	1	0
6.	Biochemistry	0	0	1	0
7.	Microbiology	0	0	1	1
8.	Ophthalmology	0	0	1	0
9.	ENT	0	0	1	0
	Total	**1**	**3**	**8**	**5**

उपरोक्त पद आरयूएचएस के चिकित्सा महाविद्यालय में सीटों की संख्या 100 से 150 किये जाने के क्रम में एमसीआई/एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार न्यूनतम आवश्यक पदो के दृष्टिगत सृजित किये जा रहे है। आरयूएचएस, एमसीआई/एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पदो से अधिक सृजित रिक्त पदो को समाप्त करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इमरजेंसी मेडिसिन विभाग हेतु आवश्यक सीनियर रेजिडेंट के 9 (नौ) पदो के संबंध में निम्न सारणी अनुसार विशिष्टता परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

विभाग का नाम	पूर्व में स्वीकृत पद	ईमरजेंसी मेडिसिन विशिष्टता में परिवर्तित पदो की संख्या
मेडिसिन	10	2
सर्जरी	10	2
स्त्री एवं प्रसूति रोग	6	1
एनेस्थिसिया	9	2
रेडियो डायग्नोसिस	5	2
कुल		9

यह स्वीकृति वित्त (व्यय—1) विभाग की आई.डी. संख्या 152100588 दिनांक 20.07.2021 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

28/7/2021

(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा—I), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय—1/बजट/आयोजना) विभाग।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

28/7/2021

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव